



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



8, अरेरा हिल्स, जेलरोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./2020/6161

भोपाल, दिनांक: 28/04/2020

// संशोधित आदेश //

कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु जिलों में मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विज्ञप्ति क्रमांक G-11006/20 द्वारा संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशों से संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को जिलों में रु 35,000/- मासिक मानदेय पर नियुक्त किया गया था।

अतः समसंख्यक आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये संविदा जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट का मासिक मानदेय रु 35,000/- के स्थान पर रु 45,000/- प्रतिमाह पुनरिक्षित किया जाता है, जो कि आदेश प्रसारित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा। समसंख्यक आदेशों में संविदा शेष शर्तें पूर्वतः रहेगी।

(अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित)

(स्वाति मीणा नायक)
मिशन संचालक,

एन.एच.एम., मध्यप्रदेश,
भोपाल, दिनांक: 28/04/2020

पृ.क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./2020/6162

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. सचिव भारत, सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विश्राग मंत्रालय नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश।
5. अपर मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.।
6. संबंधित जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति म.प्र.।
7. संचालक वित्त, एनएचएम म.प्र.।
8. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एनएचएम म.प्र.।
9. अपर संचालक, आई.डी.एस.पी मध्यप्रदेश।
10. उपसंचालक, मानव संसाधन/आई.डी.एस.पी/लीगल एनएचएम म.प्र.।
11. उप संचालक आई.टी.एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
13. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
14. संबंधितों की ओर सूचनार्थ।
15. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश